पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 07 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-14.04.2024

दिनांक 13/14.04.2024 को थाना काकोरी 01, तालकटोरा 03, पीजीआई 01, मदेयगंज 01, गोमतीनगर विस्तार 01, अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना इटौंजा 02, मडियांव 01, निगोहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 07 तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0पूर्वी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना पीजीआई:- दिनांक 13.04.2024 को एस0आई0 श्री सुनील कुमार मिश्र थाना पीजीआई द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-शंकर कश्यप पुत्र स्व0 वंशीलाल उम्र 37 वर्ष लगभग नि0- ग्राम डलौना थाना पीजीआई जनपद लखनऊ को सर्वजानिक स्थान बंगाली टोला गांव के पास, थाना पीजीआई लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना पीजीआई पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही

थाना चिनहट:- दिनांक-13.04.2024 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 1.अमित कुमार रस्तोगी पुत्र अशोक कुमार रस्तोगी निवासी प्लाट नं0 18 गली नं0 12 कौशलपुरी कालोनी छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ, 02.मो0 ताज कुरैशी पुत्र मो0 इस्तियाक कुरैशी निवासी 447/187 राधा ग्राम बर्फखाना थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ, 03.मुसेक उर्फ शानू पुत्र स्व0 मो0 सुहेल निवासी 484/14 भिस्ती टोला खदरा कदम रसूल वार्ड इरादत नगर डालीगंज थाना मदेगंज जनपद लखनऊ, 04.अक्कान उर्फ अफान शकील पुत्र शकील अहमद खान निवासी 290/132 मोतीझील कालोनी थाना बाजार खाला लखनऊ के विरुद्ध थाना चिनहट पर धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही की गई। उपरोक्त का संगठित अपराधिक गिरोह है, जो अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्त दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति हैं।

डी0सी0पी0दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना मोहनलालगंज:- दिनांक 13.04.2024 को एस0आई0 श्री हरिश्चन्द्र थाना मोहनलालगंज द्वारा दौराने गस्त मय महिला आरक्षी फोर्स के अभियुक्ता 01-राजेश्वरी पत्नी स्व0 सुशील उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम केशरीखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ को सर्वजानिक स्थान जबरैला पुल के पास मोहनलालगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

110 (जी) सीआरपीसी की कार्यवाही।

थाना सरोजनीनगर:- दिनांक-14.04.2024 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेन्द्र गिरि द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 1. धीरेन्द्र प्रसाद पुत्र रामजी प्रसाद निवासी 582/183,107 बदालीखेड़ा थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष, जोकि दबंग, मनबढ़ व दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति हैं जिस कारण आम जनता में भय व्याप्त है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना सरोजनीनगर पर धारा 110(जी) सीआरपीसी की कार्यवाही की गई।

डी0सी0पी0पूर्वी

3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही

थाना मडियांव:- दिनांक-13.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानंद मिश्रा थाना मडियांव द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 01. (गैंगलीडर) मु0 जुबैर पुत्र मो0 हबीब निवासी डा0 खान क्लीनिक के बगल अन्ना मार्केट केशवनगर थाना मडियांव लखनऊ, हालपता मुरदहिया प्रियदर्शिनी कालोनी थाना मडियांव लखनऊ मूलपता भण्डिया सिधौली सीतापुर उम्र करीब 27 वर्ष, 02. गैंग सदस्य अभियुक्त मो0 रेहान पुत्र उस्मान अली निवासी अवध गेस्ट हाउस के बगल नायकनगर कालोनी थाना मडियांव लखनऊ, मूलपता बाबागंज थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 20 वर्ष-(सक्रिय सदस्य) के विरुद्ध थाना मडियांव पर धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही की गई। गैंगलीडर मु0 जुबैर उपरोक्त का संगठित अपराधिक गिरोह है जिसका लीडर स्वंय है, जो अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्त दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति है।

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना गुडम्बा:-दिनांक 13.04.2024 को एस0आई0 श्री सुदर्शन सिंह थाना गुडम्बा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-अमित पुत्र नन्हें निवासी कपासी थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष को सर्वजानिक स्थान ककडेहरी मोड़ से चौकी गढी थाना गुडम्बा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गुडम्बा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना चिनहट:- आज दिनांक 14.04.2024 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि श्रीमती विजया वर्मा निवासी न्यू गुलिस्ता कालोनी थाना चिनहट जनपद लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि वह न्यू गुलिस्ता कालोनी की रहने वाली है, उनका भतीजा रामकमल बुद्ध बिहार कालोनी किराए पर रहता है। आज दिनांक 14.04.2024 की सुबह उनके भतीजे की पत्नी रेनू देवी का फोन आया जिस पर उन्होंने जब वहां आकर देखा तो कमरे का दरवाजा खिड़की अंदर से बंद थे, दरवाजा खटखटाने और आवाज देने पर कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो उन्होनें थाना चिनहट पर जाकर जानकारी दी पुलिस के द्वारा उनके और मकान मालिक के सामने दरवाजे को तोड़ा गया। तो देखा गया कि उनका भतीजा राजकमल पुत्र जय नारायण पंखे पर दुपट्टे से फंदा बनाकर फांसी पर लटका हुआ था। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री प्रमोद कुमार सिंह मो0न0- 7839860987 थाना चिनहट द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक आटो चालक था। मृतक की पत्नी व 02 बच्चों के साथ मायके कानपुर गई हुई थी। मृतक व मृतक की पत्नी के बीच रात में फोन पर किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो गया था।

थाना कैसरबाग- आज दिनांक 14.04.2024 को थाना कैसरबाग द्वारा बताया गया कि श्री राजकुमार वर्मा पुत्र स्व0 श्री रामजियावन निवासी म0नं0- 119/67 खन्दारी बाजार दरबारी लाल का हाता लखनऊ ने थाना कैसरबाग पर सूचना दिया कि आज दिनांक 14.04.2024 को समय लगभग 2 बजे उसके घर सामने वाले घर से बदबू आ रही है। उस घर का दरवाजा अन्दर से लॉक है। उस घर में मनोज शर्मा उर्फ पिन्टू उम्र लगभग 45 वर्ष रहते थे सम्भवतः उनकी मृत्यू हो चुकी है । **इस सूचना पर एस0आई0 श्री जितेन्द्र दुबे मो0न0- 7839861029 थाना कैसरबाग द्वारा मय पुलिस बल मौके पर पहुंचकर देखा गया** तो घर अंदर से बंद था, जिसे आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाकर देखा गया तो मनोज शर्मा उर्फ पिंटू शर्मा उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी 76ए खण्डारी बाजार थाना कैसरबाग लखनऊ घर के अंदर अपने बेड पर मृत अवस्था में मिले। शव तीन से चार दिन पुराना लग रहा है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि मनोज शर्मा उपरोक्त पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मनोज शर्मा उपरोक्त के माता-पिता एवं बहन का पूर्व में ही देहांत हो चुका है। मनोज शर्मा उपरोक्त घर में अकेले ही रहते थे। **थाना कैसरबाग पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**